

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

23 ⁰¹/₁₇

आ(ग) मर प्रो.पत्र प/8 136 LR से के नवन लक्ष्मणवर
कोटकासिम ने फर्म किया। शर्मा पत्र को रजिस्टर किया।
लक्ष्मणवर कोटकासिम ने उक्त प्रो.पत्र में दर्ज किया है
कि प्रो.पत्र में वर्णित आजीवन से सम्बन्धित पदाकाशिका
लक्ष्मण मारीकरण से लुनवर के नोटेस जारी किया जाकर
लुनवर का अक्षर किया गया। उक्त आजीवन के सम्बन्ध
में कोई उद्घाटन फर्म नहीं की गयी। शर्मा को प्रो.पत्र
पत्र (वि-नो क 3/2/2017 को फर्म है) 29

32 ¹⁷/₁₇

पत्र (वकी पत्र) प्रो.पत्र को रजिस्टर किया। शर्मा
का अक्षर किया। प्रो.पत्र को लुनवर/अक्षर
लक्ष्मण प्रो.पत्र स्वीकार किया जाता है। विशेष
अलग से विचार जाकर शर्मा पत्र (वकी)
किया गया। अक्षर जारी किया जाकर प्रो.पत्र
प्रो.पत्र प्रो.पत्र (कोटकासिम) लक्ष्मण
लुनवर की लक्षर 29

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदी लाल मीना (R.A.S.)

दावा संख्या ०३

दायर दिनांक 23.01.2017

निर्णय दिनांक ०३/०२/२०१७

अनुवान

सरकार

बनाम

सन्तरा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि यह है कि तहसीलदार कोटकासिम के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर टी ए 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम हाल आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.19 है. किस्म ढहरी प्रथम, 2 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 3 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 69 रकबा 0.51 है. किस्म ढहरी प्रथम, 70 रकबा 0.44 है. किस्म ढहरी प्रथम, 72 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 73 रकबा 0.16 है. किस्म ढहरी प्रथम, 75 रकबा 0.16 है. किस्म जाव प्रथम, 76 रकबा 0.14 है. किस्म जाव प्रथम, 77 रकबा 0.25 है. किस्म जाव प्रथम राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी/गैर खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है। एवं खसरा नम्बर 1 रकबा 0.19 है. किस्म ढहरी प्रथम, 2 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 3 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 69 रकबा 0.51 है. किस्म ढहरी प्रथम, 70 रकबा 0.44 है. किस्म ढहरी प्रथम, 72 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 73 रकबा 0.16 है. किस्म ढहरी प्रथम, 75 रकबा 0.16 है. किस्म जाव प्रथम, 76 रकबा 0.14 है. किस्म जाव प्रथम, 77 रकबा 0.25 है. किस्म जाव प्रथम में से कच्चा/पक्का रास्ता कायम होकर सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। खसरा नम्बर 1 रकबा 0.19 है. में से 0.01 है., 2 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 3 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 69 रकबा 0.51 है. में से 0.01 है., 70 रकबा 0.44 है. में से 0.01 है., 72 रकबा 0.33 है. में से 0.01, 73 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 75 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 76 रकबा 0.14 है. में से 0.01, 77 रकबा 0.25 है. में से 0.01 है. भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है।

३०५


उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक: प.3(2)राज.6/2009/पार्ट/04 दिनांक 10/08/2016 के परिपेक्ष में चालु स्थाई रास्ते है जो बारहमासी है तथा मौसम/ऋतु अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे रास्तो का राजस्व अभिलेख में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 एवं 86 के प्रावधानुसार अंकन किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः उपरोक्त आराजी में से रास्ते के रूप में काम आ रहे भू-भाग को गैर मुमकिन सडक के रूप में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करे ।

प्रकरण को दर्ज किया जाकर अवलोकन किया गया और पाया कि ग्राम दाईका के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.19 है. में से 0.01 है., 2 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 3 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 69 रकबा 0.51 है. में से 0.01 है., 70 रकबा 0.44 है. में से 0.01 है., 72 रकबा 0.33 है. में से 0.01, 73 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 75 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 76 रकबा 0.14 है. में से 0.01, 77 रकबा 0.25 है. में से 0.01 है. भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है। वर्तमान में मौके पर रास्ता चालु है तथा अर्से दराज से चालु है एवं स्थानिय निवासी आने जाने, माल समान के परिवहन हेतु रास्ते के रूप में उपयोग लेते आ रहे है। इस संबंध में तहसीलदार, कोटकासिम के द्वारा संबंधित खसरा नम्बरान के खातेदारान को परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के प्रावधानों के अनुसार सम्मन भी दिया गया और नियत अवधि में काश्तकारों द्वारा कोई आक्षेप पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि किसी भी काश्तकार को उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आदेश है कि ग्राम दाईका के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.19 है. में से 0.01 है., 2 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 3 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 69 रकबा 0.51 है. में से 0.01 है., 70 रकबा 0.44 है. में से 0.01 है., 72 रकबा 0.33 है. में से 0.01, 73 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 75 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 76 रकबा 0.14 है. में से 0.01, 77 रकबा 0.25 है. में से 0.01 है. तहसीलदार कोटकासिम की रिपोर्ट अनुसार चालु रास्ते का पृथक खसरा नम्बर कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन सडक अंकन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

सेवा में

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
कोटकासिम जिला अलवर।

2155
3001
23/1/2017


प्रार्थना पत्र संख्या

1. राज्य सरकार जयें भूमिधारी तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर
(राज.)

प्रार्थी

बनाम

- 1 सन्तरा देवी पत्नी फूलसिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 2 ब्रहम प्रकाश पुत्री फूलसिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 3 रामकिशन पुत्र फूलसिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 4 बिसना पुत्री फूलसिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 5 सवीता पुत्री फूलसिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 6 बलेश पुत्री फूलसिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 7 लालकौर पत्नी जगदीश जाति अहीर निवासी दाईका
- 8 रामौतार पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी दाईका
- 9 कालूराम पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी दाईका
- 10 फूलवती पुत्री जगदीश जाति अहीर निवासी दाईका
- 11 बलवीर सिंह पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी दाईका
- 12 राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी दाईका
- 13 शारदा पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी दाईका
- 14 कृष्णा देवी पत्नी विजय सिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 15 सुरेश चन्द पुत्र विजय सिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 16 सतीश कुमार पुत्र विजय सिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 17 नरेश कुमार पुत्र विजय सिंह जाति अहीर निवासी दाईका
- 18 सुबेसिंह पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासी दाईका
- 19 रामौतार पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी दाईका


तहसीलदार
कोटकासिम (अलवर)

- 20 कालूराम पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी दाईका
- 21 सुरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी दाईका
- 22 रामफल पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी दाईका
- 23 राकेश पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी दाईका
- 24 मुर्ती पुत्री मोहन लाल जाति अहीर निवासी दाईका
- 25 शन्तो पुत्री मोहन लाल जाति अहीर निवासी दाईका
- 26 सरवती पुत्री मोहन लाल जाति अहीर निवासी दाईका
- 27 कलावती पत्नी शंकर जाति अहीर निवासी दाईका
- 28 रामजस पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी दाईका
- 29 रामकिशन पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी दाईका
- 30 हुकमचन्द पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी दाईका
- 31 रामरतन पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी दाईका
- 32 रामकिशोर पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी दाईका
- 33 रामपाल पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी दाईका
- 34 चन्द्रशेखर पुत्र रामवतार जाति अहीर निवासी दाईका
- 35 चम्पा पत्नी सांवत सिंह जाति अहीर निवासी दाईका

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

महोदय,

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन है:-

1. यह है कि वाके ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम हाल आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.19 है. किस्म ढहरी प्रथम, 2 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 3 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 69 रकबा 0.51 है. किस्म ढहरी प्रथम, 70 रकबा 0.44 है. किस्म ढहरी प्रथम, 72 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 73 रकबा 0.16 है. किस्म ढहरी प्रथम, 75 रकबा 0.16 है. किस्म जाव प्रथम, 76 रकबा 0.14 है. किस्म जाव प्रथम, 77 रकबा 0.25 है. किस्म जाव प्रथम राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी/गैर खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है।



जिलाधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

2. यह है कि पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.19 है. किस्म ढहरी प्रथम, 2 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 3 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 69 रकबा 0.51 है. किस्म ढहरी प्रथम, 70 रकबा 0.44 है. किस्म ढहरी प्रथम, 72 रकबा 0.33 है. किस्म ढहरी प्रथम, 73 रकबा 0.16 है. किस्म ढहरी प्रथम, 75 रकबा 0.16 है. किस्म जाव प्रथम, 76 रकबा 0.14 है. किस्म जाव प्रथम, 77 रकबा 0.25 है. किस्म जाव प्रथम में से कच्चा/पक्का रास्ता कायम होकर सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। खसरा नम्बर 1 रकबा 0.19 है. में से 0.01 है., 2 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 3 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 69 रकबा 0.51 है. में से 0.01 है., 70 रकबा 0.44 है. में से 0.01 है., 72 रकबा 0.33 है. में से 0.01, 73 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 75 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 76 रकबा 0.14 है. में से 0.01, 77 रकबा 0.25 है. में से 0.01 है. भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है। **नया नोटे-पर खसरा नम्बर 1**

3. यह है कि राजस्थान सरकार राजस्व (गुप) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक: प.3(2)राज. 6/2009/पार्ट/04 दिनांक 10/08/2016 के परिपेक्ष में चालु स्थाई रास्ते हैं जो बारहमासी है तथा मौसम/ऋतु अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 एवं 86 के प्रावधानुसार अंकन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

4. उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान के खातेदारों को नोटिस जारी किये गये हैं। एवं तामील के उपरान्त कोई उजरदारी प्राप्त नहीं हुई है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र श्रीमान के सूनने योग्य क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत हैं।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र राज्यहित में होने से निःशुल्क कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

7. अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की खातेदारी/गैरखातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.19 है. में से 0.01 है., 2 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 3 रकबा 0.33 है. में से 0.01 है., 69 रकबा 0.51 है. में से 0.01 है., 70 रकबा 0.44 है. में से 0.01 है., 72 रकबा 0.33 है.




तहसीलदार
कोटकासिम (अलवर)

में से 0.01, 73 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 75 रकबा 0.16 है. में से 0.01, 76 रकबा 0.14 है. में से 0.01, 77 रकबा 0.25 है. में से 0.01 है. भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है।
अतः पैरा 3 में वर्णित विधिक प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उपरोक्तानुसार रकबा गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करावे।


दिनांक:-

प्रार्थी


तहसीलदार, कोटकासिम
(भूमिधारी)
कोटकासिम (अलवर)

सत्यापन

मैं प्यारेलाल सोठवाल तहसीलदार, कोटकासिम सत्यापित करता हूँ कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 1 लगायत 6 मेरी जानकारी व विश्वास में सही है।


(प्यारे लाल सोठवाल)
तहसीलदार
कोटकासिम (अलवर)